उत्तरांचल शासन
कृषि एवं कृषि विपणन अनुभाग
संख्या–983 /कृषि/03–रिट–2(48)2002
देहरादूनः दिनांक 05 अक्टूबर, 2003

कार्यालय आदेश

डा0 गोपाल सिंह रावत, तत्कालीन परियोजना अधिकारी, कृषि उधमसिंहनगर द्वारा बरती गई गम्भीर अनियमितताओं के लिये उनके विरूद्व कार्यालय ज्ञाप सं0–1237/कृषि/1–(111)/02, दिनांक 25 नवम्बर, 2002 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए श्री चन्दन सिंह मेहरा, संयुक्त कृषि निदेशक, उत्तरांचल को जांच अधिकारी नामित किया गया तथा डा0 रावत को तामील कराये गये आरोप–पत्र,उनके संबंध में उनके द्वारा जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया गया बचाव उत्तर तथा साक्ष्यों के आधार पर जांच अधिकारी द्वारा की गई जांच आख्या जो उन्होंने अपने पत्र दिनांक 31 जुलाई, 2003 द्वारा शासन को उपलब्ध कराई के अनुसार जांच अधिकारी ने डा0 रावत पर तीनों आरोप आंशिक रूप से सिद्व पाये, जिसके संबंध में स्थिति निम्नवत हैः–

आरोप संख्या–1– वर्ष 2001–02 में जब आप जनपद उधमसिंहनगर में कार्यरत थे तो विभिन्न उर्वरक विकेताओं के फर्मो में छापे डालकर विश्लेषण हेतु 16 नमूने जिसमें से 03 डी0ए0पी0के 05,एस0एस0पी0 के ,01एम0ओ0पी0,2 जिंक सल्फेट तथा चार माइक्रोन्यूट्रएन्ट के परिणाम अधोमानक पाये जाने पर संबंधित उर्वरक विकेताओं के अमानक पाये गये प्रकरणों में एकरूपता न रखते हुए भेदभाव बरतते हुए कार्यवाही की गई है।

इस आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी ने अपने उत्तर में यह कहा है कि उनके द्वारा विभिन्न तिथियों में डी0ए0पी0, एम0एस0पी0, एम0ओ0पी0, जिंक तथा माइक्रोन्यूट्रीएन्ट के नमूने लिये गये, जिसमें से कुछ के परिणाम टालरेन्स लिमिट में थे, कुछ नमूनों को ग्रहण करते समय उनका स्टाक बहुत कम था, इसलिये टालरेन्स लिमिट के अन्तर्गत पाये गये स्टाक के लिये गये नमूने एवं कम स्टाक वाले अमानक नमूनों पर गम्भीरता से कार्यवाही का कोई विचार नहीं बनता है। इस प्रकार कतिपय उर्वरक विकेताओं के निबन्धन पत्र निलम्बित किये गये एवं कतिपय की बिकी प्रतिबंधित की गई। इस प्रकार जो कार्यवाही की गई, वह उर्वरक नियन्त्रण आदेश के अनुरूप है तथा कही भी कोई अनियमितता नहीं बरती गई।

इस आरोप के संबंध में जांच अधिकारी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि उर्वरक निबन्धन प्राधिकारी होने के नाते अपचारी अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गई उसमें एकरूपता प्रदर्शित नहीं हुई, उर्वरकों में जिंक हैप्टाहाइजेट में कमी के कारण चेतावनी दी गई, जबकि जिंक सल्फेट में कमी के कारण संबंधित फर्म की बिक्री प्रतिबन्धित की गई। इस प्रकार उर्वरक प्राधिकारी के नाते परियोजना अधिकारी द्वारा जो कार्यवाही की गई, में एकरूपता न होकर विविधता पाई गई।

जिंक हैप्टाहाइटेज में जिंक 21 प्रतिशत के सापेक्ष 19.4 प्रतिशत, एस0एस0पी0 में 16 प्रतिशत के सापेक्ष 15.39 प्रतिशत माइक्रोन्यूट्रीएन्ट में एफ0ई0 3 प्रतिशत के स्थान पर 2.10 प्रतिशत पाये जाने पर संबंधित उर्वरक विक्रेता को चेतावनी दी गई एवं डी0ए0पी0 में एन0 18 प्रतिशत के सापेक्ष 17.92 प्रतिशत व पी0 46 प्रतिशत के सापेक्ष 43.60 प्रतिशत पाये जाने पर संबंधित फर्म को एक वर्ष के लिये उर्वरक बेचने से प्रतिबन्धित किया गया। माइक्रोन्यूट्रीएन्ट में जिंक 6 प्रतिशत के स्थान पर 2.55 प्रतिशत, एस0एस0पी0 में पी0 16 प्रतिशत के सापेक्ष 14.72 प्रतिशत पाये जाने पर विक्रेताओं के निबन्धन पत्र निलम्बित किये गये। एस0एस0पी0 में पी0 16 प्रतिशत के सापेक्ष 4.07 प्रतिशत तथा माइक्रोन्यूटीएन्ट 6 प्रतिशत के सापेक्ष 3.6 प्रतिशत पाये जाने पर उर्वरक विक्रेताओं का स्टाक कम होने पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। इस प्रकार यह आरोप डा0 रावत पर आंशिक रूप से सिद्व होता है।

<u>आरोप संख्या–2:–</u> अधोमानक पाये गये उर्वरकों पर भारत सरकार द्वारा अनुदान दिये हैं, जिसके लिये संबंधित आपूर्तिकर्ता फर्म अनुदान नहीं करेगी जिसे संज्ञान में न लेते हुए आपने उर्वरकों की कितनी मात्रा प्रदेश में संबंधित फर्मों को आपूर्ति की गई थी, जानकारी नहीं की।

इस आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी ने अपने उत्तर में यह स्वीकारा है कि उर्वरकों के नमूने जो अधोमानक पाये गये हैं, का अभिलेख परियोजना अधिकारी, कृषि के कार्यालय में सुरक्षित रखा गया है तथा नियमानुसार किसी भी अमानक घोषित फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरकों के शेष स्टाक के बिल पर उनके द्वारा सत्यापित नहीं किये है।

आरोप सं0–2 के संबंध में जांच अधिकारी ने यह उल्लेख किया है कि जिन उर्वरकों पर अनुदान देय होता है, के अभिलेख परियोजना अधिकारी, कृषि के कार्यालय में रखे है तथा मानक घोषित फास्फेटिक एवं पोटेशिक उर्वरक के शेष स्टाक के बिल परियोजना अधिकारी, कृषि ने